न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
152/2025	09.10.2025	20.11.2025

अनवान

1. कंकुबाई पत्नी जगदीशचन्द्र जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. गटुबाई पुत्री बालु जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवली पुत्री बालु लोदा नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त भाई पारसमल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नारायणलाल पिता बालु नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त भाई पारसमल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पारसमल पिता बालु जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. शंकर पिता मुलचन्द जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. उमाकुंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. गुड्डीकुंवर पुत्री शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी करोली मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ़।
8. टमाकुंवर पत्नी उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मीनाकुमारी पुत्री जगदीशचन्द्र जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. दरियाकंवर पत्नी शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. नारायणसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. निर्मलाकुंवर पत्नी उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. मदनसिंह पिता चेनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी शनिमहाराज आली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी रामाखेड़ा दान्ता झुपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. विक्रमसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
16. सुरेन्द्रसिंह पिता शेतानसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिए संरक्षक माता उमाकुंवर जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
17. हरिसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

18. उदीबाई पत्नी हेमराज जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
19. टमुबाई पुत्री हेमराज जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
20. प्रताबी पत्नी गमेर जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
21. पुष्पाबाई पुत्री हेमराज जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
22. मुकेश कुमार पिता मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
23. रतनलाल पिता गमेर जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
24. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
25. पटवारी पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वीरवाल — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आली पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 279/8, 286/9 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6500 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीया वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 128 राज0

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात मौजा आली पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 279／8, 286／9 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6500 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000／– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुथालका)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन, जिला-चित्तौडगढ